दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 11-05-2026

15 दिनों में दस्तावेजों की जांच कर नियमित वेतन दे सीयू: हाई कोर्ट

सीयू के कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान के मामले में अहम आदेश दिया है। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सीयू को संबंधित कर्मचारियों के दस्तावेजों का 15 दिनों के भीतर सत्यापन का नियमित वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

सीयू में कार्यरत विजय बहादुर सिंह समेत अन्य कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के 6 मार्च 2023 के फैसले का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका लगाई है। कर्मचारियों की तरफ से अधिवक्ता प्रकाश तिवारी ने बताया कि हाई कोर्ट के 6 मार्च 2023 के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए और वे 26 अगस्त 2008 से सभी नियमित लाभों के हकदार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी की एसएलपी और पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, इसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन नहीं किया गया है। वहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से 16 फरवरी 2026 के एक आदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही याचिकाकर्ताओं को नियमित कर दिया है, लेकिन दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने के कारण अब लाभ देने में देरी हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें कभी दस्तावेजों के लिए सूचना नहीं दी गई और न ही नियमित पद का वेतन दिया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं कि 12 मई 2026 तक सभी याचिकाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों की सूची दे। याचिकाकर्ताओं को इसके एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे। यूनिवर्सिटी को 15 दिनों के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।